प्रेस नोट – थाना नरही जनपद बलिया

दिनांक- 11.07.2021

थाना नरही, जनपद बलिया पुलिस द्वारा नाजायज 01 अदद देशी तमंचा .315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार ।

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक, जनपद बलिया डॉ0 विपिन ताडा महोदय के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए चलाये जा रहे अभियान में श्रीमान् अपर पुलिस अधीक्षक, बलिया श्री संजय कुमार व क्षेत्राधिकारी सर्किल सदर, बलिया के नेतृत्व में दिनांक 10.07.2021 को प्र0नि0 नरही श्री योगेन्द्र बहादुर सिंह द्वारा गठित टीम के उ0नि0 सूरज सिंह मय फोर्स के देखभाल क्षेत्र / शांति व्यवस्था ड्यूटी ब्लाक प्रमुख चुनाव व चेकिंग संदिग्ध वाहन / व्यक्ति में सोहांव चर्च गेट बैरियर के सामने चेकिंग में मामूर थे कि सूचना मिली कि एक व्यक्ति नाजायज .315 बोर का तमंचा लिये हुए सोहांव पेट्रोल पम्प के पास है। इस सूचना पर सोहांव पेट्रोल पम्प के पास पहुंचकर *अभियुक्त धर्मेन्द्र सिंह पुत्र चन्द्रहास सिंह निवासी ग्राम सवरां थाना रसड़ा जनपद बलिया* को गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से एक अदद देशी तमंचा .315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ। बरामदगी के आधार पर पकड़े गये अभियुक्त धर्मेन्द्र सिंह उपरोक्त के विरूद्ध थाना नरही जनपद बलिया पर मु0अ0सं0 134/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया है तथा अभियुक्त को माननीय न्यायालय रवाना किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोगः-

1. मु0अ0सं0 134/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना नरही बलिया।

बरामदगीः-

1. 01 अदद देशी तमंचा .315 बोर
2. 01 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर

नाम पता अभियुक्तः-

1. धर्मेन्द्र सिंह पुत्र चन्द्रहास सिंह निवासी ग्राम सवंरा थाना रसड़ा जनपद बलिया

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः-

1. प्र0नि0 श्री योगेन्द्र बहादुर सिंह थाना नरही जनपद बलिया
2. उ0नि0 श्री सूरज सिंह थाना नरही जनपद बलिया
3. का0 का0 रवि यादव थाना नरही जनपद बलिया
4. रि0का0 शुभम तिवारी थाना नरही जनपद बलिया

सोशल मीडिया सेल

बलिया पुलिस

रही, जनपद-बलि
बिना मास्क
प्रवेश वर्जित